न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 477 सन 2020
अनवान :–

1. संजय कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामजस पुत्र गणपत जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
2. मनी उर्फ नानी पत्नी रामजस जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
3. रामजीलाल पुत्र रामजस जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
4. रोमित कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
5. बृजलाल पुत्र रामजस जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
6. राकेश कुमार सिहाग पुत्र बृजलाल सिहाग जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
7. भूपसिह पुत्र रामजस जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
8. सुलतान सिह पुत्र रामजस जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
9. सीमादेवी पुत्री रामजस पत्नी जीतराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर
10. सिलोचनादेवी पुत्री रामजस पत्नि दलीपसिह निवासी उम्मेदपुरा जिला सिरसा
11. एकता पुत्री रामजीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 15/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 67/1 की कुल 0.6330हैक एव रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 439/429 की कुल 7.0850हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 597/214 की कुल 10.6260हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम एवं रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 139/133 की कुल 2.5300हैक व रोही मौजा 25 जेएसएन के खाता संख्या 68/72 की कुल 1.5180हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तथा रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 47/50 की कुल 1.5180हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज गणपत के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज गणपत के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 जो वादी के पिता/दादा दी है के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज गणपत के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 वादी की बुआ/बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री व पुत्र की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादी के दादा/दादी है ने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में किया हुआ है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादी के के चाचा व प्रतिवादी संख्या 3 ,5 के भाई है जिन्होने परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा में वाद भूमि में अपने हको का त्याग किया जाकर दुसरे खाते में अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है अर्थात वादी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज गणपत के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 7 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/भतिजो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 67/1 की कुल 0.6330हैक एव रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 439/429 की कुल 7.0850हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 597/214 की कुल 10.6260हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम एवं रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 139/133 की कुल 2.5300हैक व रोही मौजा 25 जेएसएन के खाता संख्या 68/72 की कुल 1.5180हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तथा रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 47/50 की कुल 1. 5180हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज गणपत के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज गणपत के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 जो वादी के पिता/दादा दी है के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज गणपत के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5,6 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 वादी की बुआ/बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री व पुत्र की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादी के दादा/दादी है ने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में किया हुआ है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादी के के चाचा व प्रतिवादी संख्या 3 ,5 के भाई है जिन्होने परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा में वाद भूमि में अपने हको का त्याग किया जाकर दुसरे खाते में अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है अर्थात वादी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 67/1 की कुल 0.6330हैक एव रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 439/429 की कुल 7.0850हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 597/214 की कुल 10.6260हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम एवं रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 139/133 की कुल 2.5300हैक व रोही मौजा 25 जेएसएन के खाता संख्या 68/72 की कुल 1.5180हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तथा रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 47/50 की कुल 1.5180हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज गणपत के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 बहिव के हकदार है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल जबाब पेश किया जा चुका है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 7 ता 11 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी पारिवारिक समझौते/बटवारे के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 7 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 439/429 की कुल 7.0850हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1.518हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 6 बहिव व 3.796हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 1.771हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 67/1 की कुल 0.6330हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 47/50 की कुल 1.5180हैक में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 बहिव खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 68/72 की कुल 1.5180हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 बहिव दर्ज किया जावे रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 139/133 की कुल 2.5300हैक में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 597/214 की कुल 10.6260हैक में से 1/6 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. संजय कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रामजसा पुत्र गणपत जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
2. मनी उर्फ नानी पत्नी रामजसा जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
3. रामजीलाल पुत्र रामजसा जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
4. रोमित कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
5. बृजलाल पुत्र रामजसा जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
6. राकेश कुमार सिहाग पुत्र बृजलाल सिहागजाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
7. भूपसिह पुत्र रामजसा जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
8. सुलतान सिह पुत्र रामजसा जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
9. सीमादेवी पुत्री रामजसा पत्नी जीताराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर
10. सिलोचनादेवी पुत्री रामजसा पत्नि दलीपसिह निवासी उम्मेदपुरा जिला सिरसा
11. एकता पुत्री रामजीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 477 सन 2020 निर्णय दिनांक–15/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज्य की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 439/429 की कुल 7.0850हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1.518हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 6 बहिव व 3.796हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 1.771हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 67/1 की कुल 0.6330हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 47/50 की कुल 1.5180हैक में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 बहिव खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 68/72 की कुल 1.5180हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 बहिव दर्ज किया जावे रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 139/133 की कुल 2.5300हैक में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 597/214 की कुल 10.6260हैक में से 1/6 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner